न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 26/2021 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार हमीरगढ़ जिला भीलवाडा।	**बनाम**	1. सोहन रेगर पुत्र नन्दा रेगर निवासी ओज्याड़ा तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाडा।
—प्रार्थी		—विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थित —

1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक :20.10.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम ओज्याड़ा पटवार हल्का ओज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ की आराजी संख्या 2388/1140 रकबा 0.5058 है0 बीघा भूमि सम्वत् 2052 को आवंटन की गयी जो नामान्तरकरण संख्या 943 दिनांक 09.07.1996 से गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड हुई। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी/आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रा0 पत्र न्यायालय में दिनांक 05.08.2021 को दर्ज किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। पटवारी पटवार हल्का ओज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें विपक्षी गैर खातेदार सोहन पिता नन्दा फौत होना अंकित किया हुआ है। साथ ही उक्त रिपोर्ट में वर्णित अप्रार्थी के पारिवारिक सजरा अनुसार अप्रार्थी/आवंटी खातेदार के अब कोई विधिक वारिस भी जीवित नहीं है।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम ओज्याड़ा पटवार हल्का ओज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ की आराजी संख्या 2388/1140 रकबा 0.5058 है0 बीघा भूमि आवंटन की जाकर गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड हुई। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। आवंटी की मृत्यू हो चुकी है एवं आवंटी खातेदार के कोई भी विधिक वारिसान वर्तमान में जीवित नहीं है अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। बाद मनन एवं परीक्षण पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि ग्राम ओज्याड़ा पटवार हल्का ओज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ की आराजी संख्या 2388/1140 रकबा 0.5058 है0 बीघा भूमि पर मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नही की गयी है। साथ ही आवंटी गैर खातेदार की मृत्यू भी हो चुकी है एवं अब अप्रार्थी/आवंटी के कोई विधिक वारिस जीवित नहीं है। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता है। साथ ही आवंटी की मृत्यू होने एवं आवंटी/अप्रार्थी के कोई विधिक वारिसान नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम ओज्याड़ा पटवार हल्का ओज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ की आराजी संख्या 2388/1140 रकबा 0.5058 है0 बीघा भूमि आवंटन को खारिज किया जाता हैं एवं तहसीलदार हमीरगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम ओज्याड़ा पटवार हल्का ओज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ की आराजी संख्या 2388/1140 रकबा 0.5058 है0 बीघा भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार हमीरगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा